न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 13/2024 बउनवानी श्री बी.एस.शर्मा नाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार,स0मा0 नि0 32ए, राजबिहार कॉलोनी, राजकीय कन्या महाविद्यालय के पास,स0मा0 **GCMS No-2024/48**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
31.5.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 22.2.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. यह कि श्रीमान द्वारा सहायक भूप्रबंधक अधिकारी सवाईमाधोपुर से करवाया गया अनुराग रिसोर्ट रणथम्भोर रोड स0मा0 की मौका रिपोर्ट ग्राम आलनपुर तहसील स0मा0 दिनांक 27.9.93 को अनुराग रिसोर्ट रणथम्भोर रोड सवाईमाधोपुर में किये गये आराजी ख0न0 578/1822, 578/1824,578/1823,577 की मौका रिपोर्ट दिनांक 27.8.1993 की मौका पर भू–मापक निरीक्षक एवं अमीन स0मा0 द्वारा पैमाईश की जाने पर रिकार्ड के अनुसार अतिरिक्त भूमि का उपयोग अनुराग रिसोर्ट रणथम्भोर रोड स0मा0 की नाप/पैमाईश करने पर राजस्थान सरकार को अतिरिक्त भूमि का राजस्व से प्रतिवर्ष हुए नुकसान की प्रमाणित प्रति।
2. यह है कि जनजाति महिला विकास संस्थान,स0मा0 द्वारा चलाये जा रहे ग्रामीण महिला विद्यापीठ मैनपुरा स0मा0 में संचालित बालाजी महिला महाविद्यालय ख0न0 282 का संस्था को दिये जाने वाले दस्तावेज, समिति के नाम भूमि के दस्तावेज, पटटा,स्वंय का नक्शा ट्रेस, भूमि का वर्गमीटर मे माप का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियॉ उपलब्ध करावे।
3. यह है कि जनजाति महिला विकास संस्थान स0मा0 को जारी संस्था के नाम भूमि का पटटा की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
4. यह है कि तहसीलदार स0मा0 द्वारा जारी जमाबन्दी के अनुसार ख0न0 304,305, 254/3116 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 नाला को अनुराग रिसोर्ट रणथम्भोर रोड़ स0मा0 को 20 वर्ष पटटा स्वीकार करने पर लीज रेन्ट की प्रतिवर्ष जमा की गयी राशि की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
5. तहसीलदार द्वारा पूर्व पत्रांक मे भूमि संबंधित सूचना रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध ही नही , तहसीलदार प्रमाणित प्रति से अवगत करावे कि भूमि संबंधित मांगी गयी सूचना भ्रष्टाचार की श्रेणी मे आती है।
6. यह है कि तहसीलदार द्वारा भ्रष्टाचार की सूचनाओं को तृतीय श्रेणी में माना जाने पर सूचना नही देने पर ज.जा.म.वि. संस्थान, स.मा. स्वंय अध्यक्ष के हस्ताक्षर युक्त का सहमति/असहमति का पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
7. श्रीमान जिला कलेक्टर स0मा0 के निर्देश निर्णय दिनांक 19.12.2023 मे सूचना आपके कार्यालय से संबंध नही हो तो अधिनियम की धारा 6(3) के तहत निर्धारित समय सीमा में संबंधित विभाग को अन्तरित कर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ किन्तु प्रार्थना पत्र दिनांक 22.2.2024 मे चाही गयी सूचनाऐं प्राप्त नही होने बाबत दिनांक 27.5.2024 को लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गयी है।

पैरोकार राजस्व द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक/आरटीआई/23/331 दिनांक 30.5.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि बन्दु संख्या 4 मे वर्णित ख0न0 254/3116,304,306 की सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 296–97 दिनांक 21.9.2023 से माननीय आयोग में द्वितीय अपील संख्या 2023/108116, दिनांक 21.9.2023 में जवाब प्रस्तुत किया है की प्रति अपीलान्ट को भी पृष्ठांकन के साथ [illegible] जा चुकी है एवं इसके पश्चात पुनः पत्रांक 326 दिनांक 28.5.2024 से भी अपीलान्ट को [illegible] ख0न0 की जमाबन्दी भिजवायी जा चुकी है तथा शेष बिन्दुओं की सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि चाही गयी सूचना कार्यालय मे संघारित नही होने/प्रश्नात्मक होने/सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने एवं चाही गयी तृतीय पक्ष की श्रेणी की होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:11:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

यह तर्क भी दिया कि एक समान विषयवस्तु को लेकर अपीलान्ट द्वारा पूर्व मे भी दिनांक 5.4.2023, 22.8.2023(2) ,27.10.2023, 10.2.2023, को लगभग 5 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जा चुके है। जिनमे से प्रार्थना पत्र दिनांक 5.4.2023 के बिन्दु संख्या **1,3,4,5** मे चाही गयी सूचना की प्रकृति प्रार्थना पत्र दिनांक 22.2.2024 के बिन्दु संख्या **2,3** के समान है तथा दिनांक 22.8.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या **1,3** मे चाही गयी सूचना की प्रकृति प्रार्थना पत्र दिनांक 22.2.2024 के बिन्दु संख्या **1,4** के समान है। प्रार्थना पत्र दिनांक 5.4.2023 एवं 22.8.23 की सूचना से प्रार्थना पत्र दिनांक 22.2.2024 के बिन्दु संख्या 1,2,3,4 की सूचना मेल खाती है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र दिनांक 22.2.2024 के बिन्दु संख्या 1,2,3,4 की सूचना हेतु अपीलान्ट द्वारा पूर्व मे सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उक्त सभी प्रार्थना पत्रों के विरूद्व क्रमशः प्रथम अपील संख्या 29/23, 65/23, 70/23, 19/23, 30/23, भी न्यायालय हाजा मे पूर्व मे प्रस्तुत की जा चुकी है जिनका निस्तारण हो चुका है। प्रार्थना पत्र दिनांक 5.4.2023 मे चाही गयी सूचना के क्रम में अपीलान्ट द्वारा माननीय सूचना आयोग मे द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी थी जो। अपील संख्या 2023/108116 बी.एस.शर्मा बनाम तहसीलदार सवाईमाधोपुर के नाम से दर्ज होकर दिनांक 8.1.2024 को खारिज हो चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 22.2.2024 मे चाही गयी सूचना तृतीय पक्ष की श्रेणी मे आती है तथा उक्तानुसार चाही जा रही सूचना में विस्तृत लोकहित भी प्रकट नही होता है इसलिए उक्त सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। यद्यपि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपने पत्रांक 296–97 दिनांक 21.9.2023 एवं 326 दिनांक 28.5.2024 से अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 4 की सूचना ख0न0 304, 305, 254/3116 की जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 की भिजवायी जा चुकी है तथा पूर्व प्रार्थना पत्र दिनांक 5.4.2023 एवं 22.8.2023 मे भी इस अपील से संबंधित प्रार्थना पत्र 22.2.2024 के बिन्दु संख्या 1,2,3,4 की सूचना के संबंध में पूर्व अपीलों मे निर्णय पारित किया जा चुका है इसलिए उक्त बिन्दुओं की सूचना के संबंध मे इस अपील मे विवेचन किया जाना आवश्यक नही है। किन्तु शेष बिन्दुओं की सूचना कार्यालय मे संधारित नही होने, प्रश्नात्मक होने, सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने इत्यादि कारणो से अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है इसलिए उक्त बिन्दुओं की सूचनाऐ अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त विवरणानुसार अपीलान्ट द्वारा लगभग 5 प्रार्थना पत्रो मे चाही गयी सूचना एवं इस अपील से संबंधित प्रार्थना पत्र दिनांक 22.2.2024 के बिन्दु संख्या 1,2,3,4 मे चाही गयी सूचनाओं की प्रकृति समान है तथा उक्तानुसार सभी पूर्व प्रार्थना पत्रों के विरूद्व पूर्व में प्रथम अपीले भी न्यायालय हाजा द्वारा खारिज की जा चुकी है एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 5.4.2023 के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा पूर्व में माननीय सूचना आयोग मे द्वितीय अपील संख्या 2023/108116 बी.एस.शर्मा बनाम सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर पेश की गयी थी जो आयोग द्वारा दिनांक 8.1.2024 को खारिज की जा चुकी है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा एक ही विषयवस्तु की सूचना के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बार–बार आवेदन कर कानूनी प्रावधानों का दुरूपयोग किया जा रहा है जो उचित नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से क्रम हो एवं बाद अपील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:11:46 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner